छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 166 प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2025-02795**

आवेदक : श्री मनोज कुमार द्विवेदी, पता–प्लॉट नं.–62, दत्ता ज्योति अपार्टमेंट, लोखण्डे नगर, गायत्री मंदिर के पास, राणाप्रताप नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) विरूद्ध श्री कौस्तुभ मिश्रा, पता–रिद्धी सिद्धी वाटिका, सेलेस्टी प्लाजा के सामने, अवंती विहार, जिला–रायपुर(छ.ग.)
प्रोजेक्ट – ''सांई सिटी'', पता–ग्राम–सांकरा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
11/07/2025	– प्रकरण प्रस्तुत। – आवेदक स्वतः उपस्थित। – अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–31, नियम–35 के अधीन अनावेदक के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा दिनाँक 15.07.2018 को अनावेदक से प्लॉट क्रय किया गया था, परन्तु अनावेदक द्वारा आज दिनाँक तक उक्त प्लॉट का आधिपत्य प्रदान नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुतोष चाहा गया है कि आवेदक को अतिशीघ्र उक्त प्लॉट का आधिपत्य दिलाये जावे। – प्राधिकरण द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में प्रोजेक्ट ''सांई सिटी'' प्राधिकरण के समक्ष पंजीकृत नहीं है। अतः प्राधिकरण में प्रोजेक्ट का पंजीकरण नहीं होने के कारण सुनवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अस्तु प्राधिकरण द्वारा प्रकरण को खारिज किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–59 के अधीन अनावेदक के विरूद्ध स्वप्रेरणा से प्रकरण दर्ज करे। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	